



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH


शपथ पत्र

15AC 804648

समस्त : श्रीमान रिटनिर्माण आफिसर, इलाहाबाद - झांसी
छाण्ड - स्नातक निर्वाचन क्षेत्र झांसी ।

मैं जे.पी. शुक्ला पुत्र स्व. हर्षा नारायण शुक्ल निवासी 36/65, बी, बेनी
गंज इलाहाबाद शपथकर्ता उपरोक्त पते का निवासी है और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी
हूँ मैं सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञात करता हूँ एवं शपथ पूर्वक व निम्न लिखित कथन करता
हूँ :-

1. यह कि शपथपत्र के साथ संलग्न प्रारूप - 26 पृष्ठ 6 लगायत 15 इस शपथ पत्र का
भाग माना जावे । जिस पर क्रमानुसार सत्य एवं सही विवरण अंकित किया गया
गया है ।



.....2,
Devej Singh K...



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH


शपथ पत्र

15AC 804648

संख्या : श्रीमान रिटमिर्ज़ल आखिर, इलाहाबाद - वर्गीकृत
 बाण्ड - स्नातक विधिपत्र होत्र वर्गीकृत ।

मैं जे.पी. गुल्ला पुत्र स्व. लाल नारायण गुल्ला भिवासी 36465, बी, केपी
 जे इलाहाबाद शपथकर्ता उपरोक्त पत्र का भिवासी है और उपरोक्त विधिपत्र से प्रदर्शित
 हैं मैं सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञात करता हूँ एवं शपथ पत्रक से निम्न लिखित कथन करता
 हूँ :-

1. यह कि शपथकर्ता के साथ सैलम प्रारम्भ - 26 दृष्टि 6 लगायत 15 इस शपथ पत्र का
 भाग माना जाये । जिस पर क्रमाशुभार सत्य एवं सही विवरण अंकित किया गया
 गया है ।



.....2,
 [Signature]

MAR 2013



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

...2...

15AC 804649

2. यह कि शपथ पत्र में अंकित एवं संलग्न प्रारूप में अंकित सभी कथन मेरी निजी जानकारी में सच व सही है इसमें कोई तथ्य झूठ नहीं है। यह तस्दीक

4.3.14, को कमिश्नरी, झांसी की गयी।

शपथकर्ता

ज.पी. शुक्ल
15/03/2013





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

...2...

15AC 804649

2. यह कि शपथ पत्र में अंकित एवं संलग्न प्रारूप में अंकित सभी कथन मेरी निजी जानकारी में सच व सही है इसमें कोई तथ्य झूठ नहीं है। यह तस्दीक

4.3.14, को कम्प्लिमेंटरी, झांसी की गयी।


शपथकर्ता

ज.पी. शुक्ल
15/03/2014



प्ररूप-26
(नियम 4क देखिए)

इलाहाबाद-झाँसी खण्ड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश विधान परिषद के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ-पत्र



भाग - क
में जे. पी. शुक्ल **पुत्र/पुत्री/पत्नी स्व. हृषिकेश आयु 70 वर्ष, जो
.....(डाक का पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी
हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ, शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ :-

(i) मैं निर्दलीय (**राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी

**एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ। स्वतंत्र

(**जा लागू न हो उसे काट दें)

(2) मेरा नाम 261 इलाहाबाद खण्ड उत्तर प्रदेश (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं० 234 के क्रम सं० 71 पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा सम्पर्क टेलीफोन नं० 7860522830 है/है और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो) शुक्ल है।

(4) स्थाई लेखा संख्यांक (पैन) के ब्यौरे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्रास्थिति

क्रम सं०	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रूप में)
1	स्वयं <u>जे. पी. शुक्ल</u>	<u>ALXPS7498A</u>	<u>2020-2021</u> उक्त वित्तीय वर्ष के	<u>1,57,564 = 00</u> भाष्य परीक्षित में वर्तमान
2	पति या पत्नी	<u>शु-य</u>	<u>शु-य</u>	<u>शु-य</u>
3	आश्रित-1	<u>शु-य</u>	<u>शु-य</u>	<u>शु-य</u>
4	आश्रित-2	<u>शु-य</u>	<u>शु-य</u>	<u>शु-य</u>
5	आश्रित-3	<u>शु-य</u>	<u>शु-य</u>	<u>शु-य</u>


(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/क अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

जे. पी. शुक्ल
उपनिर्वाचक



प्ररूप-26
(नियम 4क देखिए)

इलाहाबाद-झोंसी खण्ड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश विधान परिषद के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ-पत्र



भाग - क
मैं जे. पी. शुक्ल **पुत्र/पुत्री/पत्नी रा. विजयाराज आयु 70 वर्ष, जो
(डाक का पूरा पता लिखे) का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी
हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ, शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ :-

(i) मैं निर्दलीन (**राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी

**एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ। स्वतंत्र

(**जा लागू न हो उसे काट दें)

(2) मेरा नाम 261 इलाहाबाद पश्चिमी उच्च प्रदेश (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं० 234 के क्रम सं० 71 पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा सम्पर्क टेलीफोन नं० 7860522830 हैं/है और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो) शून्य है।

(4) स्थाई लेखा संख्यांक (पैन) के ब्यौरे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्रार्थिति

क्रम सं०	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रूपए में)
1	स्वयं <u>जे. पी. शुक्ल</u>	<u>ALXPS7498A</u>	<u>2000-2001</u> <u>उक्त वित्तीय वर्ष के आयकर विवरणी के अनुसार</u>	<u>1,57,564 = 00</u>
2	पति या पत्नी <u>X</u>	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>
3	आश्रित-1 <u>X</u>	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>
4	आश्रित-2 <u>X</u>	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>
5	आश्रित-3 <u>X</u>	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>

(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

जे. पी. शुक्ल
निर्वाचक



यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी:-

(i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित हैं जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।


(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	शून्य
(ख)	सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्था आरोपित किया गया है	शून्य
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	शून्य
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	शून्य
(ङ)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किये गये थे	शून्य
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं	शून्य

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है। पूर्वोक्त मद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न :-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	शून्य
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	शून्य
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों)/आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हो) के ब्यौरे	शून्य

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43)) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है :

कामिल जमान शून्य



यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी:-
(i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।


(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	शु-१
(ख)	सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है	शु-२
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	शु-३
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	शु-४
(ङ)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किये गये थे	शु-५
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं	शु-६

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है। पूर्वोक्त मद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न :-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	शु-७
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	शु-८
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों)/आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हो) के ब्यौरे	शु-९

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43)) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है :

बन्धीत धारा ४३३



यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा
निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है :

(क)	उन मामलों के ब्यौरे, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	शून्य
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	शून्य
(ग)	अधिरोपित दंड	शून्य
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हां, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रास्थिति	शून्य

(7) मैं, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ :-

अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे

टिप्पण 1- संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2- जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिये जाने हैं।

टिप्पण 3- सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4- यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण 5- रकम सहित ब्यौरे, प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाने हैं।

क्र० सं०	विवरण	स्वयं	पति/पत्नी का नाम	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	हाथ में नकदी	1.00 लाख	0.50 लाख	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	स्टेट बैंक का इंडिया अलाहाबाद	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	कंपनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेचरों/शेयरों तथा यूनितों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य



यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा
निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है :

(क)	उन मामलों के ब्यौरे, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	शून्य
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	शून्य
(ग)	अधिरोपित दंड	शून्य
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हां, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रस्थिति	शून्य

(7) मैं, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ :-

अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे

टिप्पण 1- संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2- जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिये जाने हैं।

टिप्पण 3- सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4- यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण 5- रकम सहित ब्यौरे, प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाने हैं।

क्र० सं०	विवरण	स्वयं	पति/पत्नी का नाम	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	हाथ में नकदी	1.00 लाख	0.50 लाख	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	कम्पनियों/ पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेचरों/ शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कम्पनी में किन्ही वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vi)	मोटरयान/वायुयान/याट/पोत (मेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	श.वी. 70-क 8373 रजि. कर 22 वर्ष - 2000 मूल्य - 28000/-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यौरे)	पेग लवो 30 ग्राम मूल्य 1,20,000/-	श. 50 ग्राम रजि. 25 ग्राम मूल्य 50 ग्राम 2,00,000/- 2,00,000/- 2,00,000/- 2,00,000/- 2,00,000/-	शून्य	शून्य	शून्य
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य			शून्य	शून्य	शून्य
(ix)	समग्र कुल मूल्य	2,48,000/-	7,10,000/-	शून्य	शून्य	शून्य

ख. स्थावार आस्तियों के ब्यौरे

टिप्पण 1- संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2- प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्र० सं०	विवरण	स्वयं	पति/पत्नी का नाम	आश्रित-	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (एक में कुल माप)	3.60 हे	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	हां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

जन्मदिन 19/11/1958

(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, जाक बचत, बीमा पालिशियों में विनिधान के ब्यौरे और जाकघर या बीमा कम्पनी में किन्ही वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(v)	किरी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vi)	मोटरयान/वायुयान/याट/पोत (मेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	श.वी. 70-क 8373 श.नं. 120/00 श.नं. 20000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यौरे)	जवाहर 303/1 श.नं. 1,20,000	श. 50,000 श. 25,000 श. 50,000 श. 25,000 श. 25,000 श. 25,000	शून्य	शून्य	शून्य
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य			शून्य	शून्य	शून्य
(ix)	समग्र कुल मूल्य	248,000/-	710,000/-	शून्य	शून्य	शून्य

ख. स्थावर आस्तियों के ब्यौरे

टिप्पण 1- संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2- प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्र० सं०	विवरण	स्वयं	पति/पत्नी नाम	का	आश्रित-	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)	शून्य	शून्य		शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (एक में कुल माप)	3.60 हे	शून्य		शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	न	शून्य		शून्य	शून्य	शून्य
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य		शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य		शून्य	शून्य	शून्य
	विकास संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य		शून्य	शून्य	शून्य

समस्त पृथक

(ii)	गैर कृषि भूमि अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)	शु-ग	शु-ग	शु-ग	शु-ग	शु-ग
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शु-ग	2200 वर्ग फुट	शु-ग	शु-ग	शु-ग
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	शु-ग	शु-ग	शु-ग	शु-ग	शु-ग
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शु-ग	शु-ग	शु-ग	शु-ग	शु-ग
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शु-ग	1,25,000 = ₹	शु-ग	शु-ग	शु-ग
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शु-ग	शु-ग	शु-ग	शु-ग	शु-ग
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शु-ग	40,00,000 = ₹	शु-ग	शु-ग	शु-ग
(iii)	वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)	शु-ग	शु-ग	शु-ग	शु-ग	शु-ग
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शु-ग	शु-ग	शु-ग	शु-ग	शु-ग
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शु-ग	शु-ग	शु-ग	शु-ग	शु-ग
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	शु-ग	शु-ग	शु-ग	शु-ग	शु-ग
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शु-ग	शु-ग	शु-ग	शु-ग	शु-ग
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शु-ग	शु-ग	शु-ग	शु-ग	शु-ग
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शु-ग	शु-ग	शु-ग	शु-ग	शु-ग
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शु-ग	शु-ग	शु-ग	शु-ग	शु-ग

उपरोक्त जानकारी

(ii)	गैर कृषि भूमि अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)	शु-ग	शु-ग	शु-ग	शु-ग	शु-ग
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शु-ग	2200 वर्ग फुट	शु-ग	शु-ग	शु-ग
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	शु-ग	शु-ग	शु-ग	शु-ग	शु-ग
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शु-ग	शु-ग	शु-ग	शु-ग	शु-ग
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शु-ग	1,25,000 = रु	शु-ग	शु-ग	शु-ग
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शु-ग	शु-ग	शु-ग	शु-ग	शु-ग
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शु-ग	40,00,000 = रु	शु-ग	शु-ग	शु-ग
(iii)	वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)	शु-ग	शु-ग	शु-ग	शु-ग	शु-ग
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शु-ग	शु-ग	शु-ग	शु-ग	शु-ग
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शु-ग	शु-ग	शु-ग	शु-ग	शु-ग
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	शु-ग	शु-ग	शु-ग	शु-ग	शु-ग
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शु-ग	शु-ग	शु-ग	शु-ग	शु-ग
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शु-ग	शु-ग	शु-ग	शु-ग	शु-ग
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शु-ग	शु-ग	शु-ग	शु-ग	शु-ग
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शु-ग	शु-ग	शु-ग	शु-ग	शु-ग

लगाविले कामे रुके

(iv)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियों) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ)	फ्लैट नं०-3 लीडर रोड इलाहाबाद	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	660 वर्ग मी.	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	660 वर्ग मी.	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	28-3-2012	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	2,23,000 = ∞	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	25,00,000 = ∞	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(v)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vi)	पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	2,23,000 = ∞	4,25,000 = ∞	शून्य	शून्य	शून्य

(8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूँ :-

(टिप्पण : कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरों का पृथक विवरण दें)

क्र० सं०	विवरण	स्वयं	पति/पत्नी का नाम	आश्रित-1 का नाम	आश्रित-2 का नाम	आश्रित-3 का नाम
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं) को ऋण या शोध्यबैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इलाहाबाद पेंशन 2000 70,000 = ∞	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कोई अन्य दायित्व	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	दायित्वों का कुल योग	70,000 = ∞	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(iv)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)	प्लॉट नं. 2-3 ली 32 215 6000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	660 वर्ग मी.	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	660 वर्ग मी.	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	28-3-2012	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	2,23,000/-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	25,00,000/-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(v)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vi)	पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	27,23,000/-	41,25,000/-	शून्य	शून्य	शून्य

(8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूँ :-
(टिप्पण : कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरों का पृथक विवरण दें)

क्र० सं०	विवरण	स्वयं	पति/पत्नी का नाम	आश्रित-1 का नाम	आश्रित-2 का नाम	आश्रित-3 का नाम
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं) को ऋण या शोध्यबैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया इलाहाबाद शाखा 70,000/-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कोई अन्य दायित्व	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	दायित्वों का कुल योग	70,000/-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(ii)	सरकारी शोध्य : सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य	शु-ग	शु-ग	शु-ग	शु-ग	शु-ग
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शु-ग	शु-ग	शु-ग	शु-ग	शु-ग
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शु-ग	शु-ग	शु-ग	शु-ग	शु-ग
	टेलीफोन/ मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शु-ग	शु-ग	शु-ग	शु-ग	शु-ग
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलीकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शु-ग	शु-ग	शु-ग	शु-ग	शु-ग
	आय-कर शोध्य	शु-ग	शु-ग	शु-ग	शु-ग	शु-ग
	धनकर शोध्य	शु-ग	शु-ग	शु-ग	शु-ग	शु-ग
	सेवाकर शोध्य	शु-ग	शु-ग	शु-ग	शु-ग	शु-ग
	नगर पालिका/ संपत्ति कर शोध्य	शु-ग	शु-ग	शु-ग	शु-ग	शु-ग
	विक्रयकर शोध्य	शु-ग	शु-ग	शु-ग	शु-ग	शु-ग
	कोई अन्य शोध्य	शु-ग	शु-ग	शु-ग	शु-ग	शु-ग
(iii)	सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग	शु-ग	शु-ग	शु-ग	शु-ग	शु-ग
(iv)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हां तो अंतर्वलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	शु-ग	शु-ग	शु-ग	शु-ग	शु-ग



जगदीश १०/१५ शुभ

(ii)	सरकारी शोध : सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध	शु-२	शु-२	शु-२	शु-२	शु-२
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध	शु-२	शु-२	शु-२	शु-२	शु-२
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध	शु-२	शु-२	शु-२	शु-२	शु-२
	टेलीफोन/ मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध	शु-२	शु-२	शु-२	शु-२	शु-२
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलीकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध	शु-२	शु-२	शु-२	शु-२	शु-२
	आय-कर शोध	शु-२	शु-२	शु-२	शु-२	शु-२
	घनकर शोध	शु-२	शु-२	शु-२	शु-२	शु-२
	सेवाकर शोध	शु-२	शु-२	शु-२	शु-२	शु-२
	नगर पालिका/ संपत्ति कर शोध	शु-२	शु-२	शु-२	शु-२	शु-२
	विक्रयकर शोध	शु-२	शु-२	शु-२	शु-२	शु-२
	कोई अन्य शोध	शु-२	शु-२	शु-२	शु-२	शु-२
(iii)	सभी सरकारी शोधों का कुल योग	शु-२	शु-२	शु-२	शु-२	शु-२
(iv)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हां तो अंतर्वलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	शु-२	शु-२	शु-२	शु-२	शु-२



जमा रकम ४०१५ रु०

(9) वृत्ति का उपजीविका के ब्यौरे :

- (क) स्वयं स्वयं
(ख) पति या पत्नी २०

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिए अनुसार है :-


1. हाई स्कूल - 10th से 12th तक 2007-08 में उत्तीर्ण किया गया
2. डिप्लोमा - 2008 में उत्तीर्ण किया गया
3. डिप्लोमा - 2009 में उत्तीर्ण किया गया
4. डिग्री - 2010 में उत्तीर्ण किया गया

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)

भाग-ख

(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गए ब्यौरों का उद्धरण

1.	अभ्यर्थी का नाम	श्री/श्रीमती/कु० जे.वी. शुक्ल
2.	डाक का पूरा पता	36/65 बी वेतगंज, कोरना इलाहाबाद
3.	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	261, इलाहाबाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश
4.	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा 'स्वतंत्र' लिखें)	स्वतंत्र
5.	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं।	शून्य
	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है (ऊपर मद (i) उल्लिखित मामलों से भिन्न)	शून्य
6.	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धवापे ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। [लोक, प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 की उपधारा (1) उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए]	शून्य



जावेद गुप्ता

(9) वृत्ति का उपजीविका के ब्यौरे :

(क) स्वयं स्वयं

(ख) पति या पत्नी ३०

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिए अनुसार है :-

1. हाई स्कूल - 10th क्लास, 1982-83 में उत्तीर्ण किया गया।
 2. डिप्लोमा - 12th क्लास, 1984-85 में उत्तीर्ण किया गया।
 3. डिग्री - 1987-88 में उत्तीर्ण किया गया।
 4. डिग्री - 1990-91 में उत्तीर्ण किया गया।


(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)

भाग-ख

(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गए ब्यौरों का उद्धरण


1.	अभ्यर्थी का नाम	श्री/श्रीमती/कु - जे.पी. शुक्ल
2.	डाक का पूरा पता	32/65 की वेनूगंज, कोल इलाहाबाद
3.	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	261, इलाहाबाद कीर्तनी उत्तर प्रदेश
4.	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा 'स्वतंत्र' लिखें)	स्वतंत्र
5.	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं।	शून्य
	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है (ऊपर मद (i) उल्लिखित मामलों से भिन्न)	शून्य
6.	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदाष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। [लोक, प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 की उपधारा (1) उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए]	शून्य

जयप्रकाश प्रसाद



7.	वैन का स्थायी लेखा सं०	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आय-कर विवरणी फाइल की गई है	कुल दर्शित आय			
(क) अभ्यर्थी	ALXPS 7498A	20-00-2001	1,57,564 = 00			
(ख) पति या पत्नी	शून्य	शून्य	शून्य			
(ग) आश्रित	शून्य	शून्य	शून्य			
8.	आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रूप में)					
	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
क	जगम आस्तियां (कुल मूल्य)	2,43,000 = 00	7,10,000 = 00	शून्य	शून्य	शून्य
ख	स्थावर आस्तियां			शून्य	शून्य	शून्य
I	स्वार्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	2,23,000 = 00	1,25,000 = 00	शून्य	शून्य	शून्य
II	क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास/संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
की	2,23,000 = 00	1,25,000 = 00	शून्य	शून्य	शून्य
III	अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	25,00,000 = 00	40,00,000 = 00	शून्य	शून्य	शून्य
	(क) स्वार्जित आस्तियां (कुल मूल्य)	27,23,000 = 00	41,25,000 = 00	शून्य	शून्य	शून्य
	(ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)	45,00,000 = 00	—			
9	दायित्व					
(i)	सरकारी शोध (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	0.70 लाख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

जगदीश प्रसाद गुप्ता



7.		पैन का स्थायी लेखा सं०	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आय-कर विवरणी फाइल की गई है	कुल दर्शित आय		
	(क) अभ्यर्था	ALXPS 7479A	2000-2001	1,57,564 = 00		
	(ख) पति या पत्नी	शून्य	शून्य	शून्य		
	(ग) आश्रित	शून्य	शून्य	शून्य		
8.	आस्तियों और दायित्वों के ब्योरे (रूप में)					
	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
क	जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)	2,43,000 = 00	7,10,000 = 00	शून्य	शून्य	शून्य
ख	स्थावर आस्तियां			शून्य	शून्य	शून्य
I	स्वार्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	2,23,000 = 00	1,25,000 = 00	शून्य	शून्य	शून्य
II	क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास/संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
की	2,23,000 = 00	1,25,000 = 00	शून्य	शून्य	शून्य
III	अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	25,00,000 = 00	40,00,000 = 00	शून्य	शून्य	शून्य
	(क) स्वार्जित आस्तियां (कुल मूल्य)	27,23,000 = 00	41,25,000 = 00	शून्य	शून्य	शून्य
	(ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)	45,00,000 = 00	—			
9	दायित्व					
	(i) सरकारी शोध (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(ii) बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	0.70 लाख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

जगदीश प्रसाद गुप्ता

10		ऐसे दायित्व जो विवादाधीन है					
	(i)	सरकारी शोध (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
11		उच्चतम शैक्षिक अर्हता : डिग्री सिविल इंजीनियरिंग - मोतीलाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट (प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्योरा दें।)					

2403/4-3-14
 The document presented before me by
 श्री. अमिताभ कुमार (अभिसाक्षी) के द्वारा
 मैं, ऊपर उल्लिखित, अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु
 मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा
 इसमें से कोई भी तात्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि :-
 (क) मेरे विरुद्ध ऊपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित
 मामले से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है ;
 (ख) मेरे पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास ऊपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8,
 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज, तारीख 04/01/2014 को सत्यापित किया गया।
 जे. पी. शुक्ल
 Advocate
 अभिसाक्षी

- टिप्पण : 1 शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3.00 अपरान्ह तक फाइल किया जाना चाहिए।
 टिप्पण : 2 शपथपत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नौटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।
 टिप्पण : 3 सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़ें, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थिति "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।
 टिप्पण : 4 शपथपत्र टंकित या सुपाद्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।
- टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना संख्यांक का आ 859, तारीख 15 अप्रैल 1961 द्वारा प्रकाशित किए गये थे और उनमें अन्तिम बार निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधन किया गया -

- (1) संख्यांक का आ 728 (अ) तारीख 8 मई, 2007।
- (2) संख्यांक का आ 425 (अ) तारीख 23 फरवरी, 2011।

10	ऐसे दायित्व जो विवादाधीन है					
(i)	सरकारी शोध (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
11	उच्चतम शैक्षिक अर्हता : डिग्री रिसर्विल इंजी० - मोतीलाल नेहरू रीजनल इंजी० कॉलेज इलाहाबाद (प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें।)					

2483/4-3-14
 The document presented before me is
 (क) सत्य और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा

मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्त्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषण करता हूँ कि :-
 (क) मेरे विरुद्ध ऊपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामले से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है ;

(ख) मेरे पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास ऊपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख 15/3/14 को सत्यापित किया गया।

जि. पी. शुक्ल
 कांग्रेस युवा शुक्ल
 अभिसाक्षी

- टिप्पण : 1 शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3.00 अपरान्ह तक फाइल किया जाना चाहिए।
 टिप्पण : 2 शपथपत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नौटैरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।
 टिप्पण : 3 सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़ें, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थिति "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।
 टिप्पण : 4 शपथपत्र टंकित या सुपाठ्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।
- टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना संख्यांक का आ 859, तारीख 15 अप्रैल 1961 द्वारा प्रकाशित किए गये थे और उनमें अन्तिम बार निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधन किया गया -

- (1) संख्यांक का आ 728 (अ) तारीख 8 मई, 2007।
- (2) संयांक का आ 425 (अ) तारीख 23 फरवरी, 2011।